विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शक्रवार, 03 जून, 2022 / 13 ज्येष्ठ, 1944 (शक)

संख्या–78

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस उपायुक्त, दक्षिण–पूर्वी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ हैः–

''विधानसभा सदस्य श्री सही राम को हिरासत में लिया गया था क्योंकि वह अपने समर्थकों के साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसका संचालन डब्ल्यू पी (सी) 3168 / 2022—'अपने प्रस्ताव पर कोर्ट बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य' मामले में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायलय के आदेश पर किया जा रहा था और उनके विरोध के कारण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका थी। विधायक और उनके आठ (08) समर्थकों को तदनुसार दिनांक 18.05.2022 के डी.डी. नं. 60ए के अनुसार पुलिस थाना ओखला में डी.पी. एक्ट की धारा 65 के अतंर्गत हिरासत में लिया गया था और बाद में अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए उन्हें कालकाजी पुलिस थाने ले जाया गया।

उन्हें प्रातः 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया और 18.05.2022 को पुलिस थाना कालकाजी, नई दिल्ली से दोपहर 02.00 बजे रिहा कर दिया गया''

> राज कुमार सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 03 June, 2022/13, Jyeshtha, 1944 (Shaka)

No. 78

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message has been received from Deputy Commissioner of Police, South-East District, Delhi:

"Shri Sahiram, Member of Legislative Assembly was detained as he along with his supporters was creating obstruction in encroachment removal programme being conducted by SDMC by the order of Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) 3168/2022 titled as Court on its own Motion Vs Govt. of NCT of Delhi & Ors and due to his protest there was apprehension of deterioration of law and order situation in the area. The MLA and his 08 supporters were accordingly detained u/s 65 DP Act, at PS Okhla vide DD No. 60A, dated 18.05.2022 and later, he was taken to PS Kalkaji to avoid any further disturbance in encroachment removal programme.

He was taken into police custody at 11 AM and released at 02 PM on 18.05.2022 from PS Kalkaji, New Delhi.

Raj Kumar Secretary